RMS-2019/00298 (निर्गत)

# Form No. III
# फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम सूरतगढ़

लखवीर सिंह बनाम राजवीर सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा इजराय प्रा.पत्र सं. 09 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02.08.2019 | आज यह पत्रावली फरीकैन प्राप्त इजराय प्रा.पत्र पश्चात सुनने पर पेशी में ली गई पर्ज रजिस्टर हो। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ के साथ तहरीर जारी है। पत्रावली इंतजार पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 20/09/19 को पेश हो। Rop उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ | 1152 24.8.19 |
| 20.9.19 | पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० ~~के पर/मकाम~~ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक ...24/10/19...को पेश हो। | |
| 24.10.19 | वकील प्रार्थी अनुपस्थित। डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त नहीं हुई, इन्तजार तक पत्रावली दिनांक 23.12.19 को पेश हो। | |
| 30.10.19 | आज यह पत्रावली [illegible] प्राप्त पेटा-कार्ड पर पेशी में ली गई [illegible] के [illegible] में की हो [illegible] पत्रावली [illegible] 23/12/19 को पेश हो। | |
| 23.12.19 | बकुलाय फरीकैन उपस्थित मिसल वास्ते ...पालना रिपोर्ट... आयन्दा दिनांक ...25.2.20..... को पेश हो। एस. डी. ओ | |
| 25/2/20 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी [illegible] वकील प्रार्थी ने [illegible] की [illegible] की [illegible] में डिक्री का [illegible] हो गया है क्योंकि [illegible] हो गई है इसलिये [illegible] की [illegible] हो गया है [illegible] आदेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.28 12:09:50 IST
Reason: SelfAttested